

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं.(CIN): L40109RJ2000SGC016485 पंजीकृत कार्यालयः "विद्युत भवन",जनपथ, जयपुर 302005

कमांक : राराविप्रनि / भर्ती (अनुकम्पा) / प. 697 / प्रे. 137

जयपुर, दिनांक 30/5/17

आदेश

श्री योगेन्द्र वर्मा पुत्र स्व. श्री भैंरूलाल बैरवा को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. में उनके पिता के स्थान पर अनुकम्पात्मक आधार पर सहायक प्रथम के पद पर, दो वर्ष की कालाविध के लिये, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक पर नीचे दर्शायी गई शर्तों एवं नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान करउनके नाम के आगे इंगित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:—

क. सं.	पति का नाम व पता	जन्म दिनांक	पु,/ महिला	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	श्री योगेन्द्र वर्मा पुत्र स्व. श्री भैरूलाल बैरवा, निवासी—डी—288, थर्मल कॉलोनी, तहसील—सकतपुरा, कोटा—324008	01.12.1997	ч .	सामान्य	सहायक अभियन्ता (132 के.वी.जी.एस.एस.), रा.वि.प्र.नि.लि, सुल्तानपुर, कोटा।

नियत मासिक पारिश्रमिक / वेतन श्रृंखला:-

परिवीक्षाकालाविध के दौरान इन्हें निगम के आदेश क्रमांक/राराविप्रनि/AAO/एफ एण्ड आर/एफ.87 (पीटी—III) /प्रे. 61 दिनांक 24.06.2015 (F&R No.943) के अन्तर्गत नियमानुसार नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 7790/— (अक्षरे रूपये सात हजार सात सो नब्बे मात्र) देय होगा। परिवीक्षाकालाविध सफलतापूर्वक पूरी करने पर निम्नानुसार वेतनमान अनुज्ञाप्त किया जायेगा :—

क्र. स.	पदनाम	पे.बैण्ड संख्या	वेतन श्रृंखला	ग्रेड पे. संख्या	ग्रेड पे.
1	सहायक प्रथम	1	5200-20200	5	2000



नियम एवं शर्ते :-

- 1 नियुक्ति दो वर्ष की पिरवीक्षाकालाविध पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थी का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने पर पिरवीक्षाकालाविध में वृद्धि की जा सकेगी। पिरवीक्षा अविध की गणना वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए नहीं की जायेगी। यद्यपि पिरवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में व्यतीत की गई अविध की गणना अनुभव एवं पदोन्नित के लिए की जायेगी।
- 2 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा काल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, परियोजना भत्ता,धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, देय नहीं होंगे । इसी प्रकार जहां निर्धारित गणवेश पहनना विधिक रूप से अनिवार्य हो, को छोड़कर गणवेश भी देय नहीं होगी।
- 3 नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन(विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा महंगाई वेतन/भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है । किन्तु दुराचार/कदाचार तथा पुलिस द्वारा चिरत्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में उसकी सेवाएं किसी भी प्रकार की लिखित सूचना/मुआवजा के बिना समाप्त की जा सकेगी।
- 4 पदभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थी को स्वयं के नाम से जारी 100/— रू. मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक बॉण्ड (प्रारूप परिशिष्ट—'अ' संलग्न है) जो कि प्रसारण निगम में देने सम्बन्धी प्रयोजन में हो, देना होगा, जिसमें वह यह घोषणा करे कि वह परिवीक्षा प्रशिक्षु काल में तथा परिवीक्षा काल समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक प्रशिक्षण/सेवा को नहीं छोड़ेगा या त्यागपत्र नहीं देगा या कोई अन्य नौकरी नहीं करेगा। यदि वह इन नियमों एवं शर्तों का उल्लंधन करता है तो उसे निगम द्वारा दिये गये सभी प्रकार के पारिश्रमिक, प्रशिक्षण में निगम द्वारा किये गये खर्च तथा सूचना अवधि की वेतन की राशि निगम को देनी होगी। जो कि अधिकतम 1,50,000/— (एक लाख पचास हजार रूपये) होगी, केवल TA & DA (जो कि संबंधित नियमों के अनुसार दिया गया है,) में छूट होगी और अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान जो कि प्रसारण निगम को देय हो, देना होगा। उक्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, मांग तिथि से एकमुश्त भुगतान की तिथि तक देय होगा।
- 5 नियुक्त व्यक्ति तीन वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने से पूर्व निगम सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे तीन माह पूर्व सक्षम अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा। यदि वह उक्त प्रावधान का उल्लंघन करता है तो तीन माह की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उसके बराबर वेतन का भुगतान निगम को क्षतिपूर्ति के रूप में करना होगा। राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में राशि की कटौती उसको देय वेतन एवं अन्य बकाया भुगतानों से की जा सकेगी।
- उक्त अभ्यर्थियों को जमानत के तौर पर किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजिनक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी जिसकी ग्रेड पे 2000 या अधिक हो, की जमानत (Surety) देनी होगी। जिसमें यह उल्लेखित हो की यदि वह शर्त संख्या 4 की अनुपालना के बिना निगम की सेवा का त्याग करता है तो उस केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजिनक उपक्रम के कर्मचारी द्वारा निगम को क्षितिपूर्ति/हर्जाना देना होगा। (प्रारूप परिशिष्ट 'ब' संलग्न है)

Selvit

- 7 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षा काल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्जेज ही देय होंगे।
- 8 नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।
- 9 यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा ।
- 10 प्रशिक्षणार्थी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत समाविष्ट होगा जिसकी प्रीमियम राशि की नियमित कर्मचारियों की भाँति उसके पारिश्रमिक में से कटौती की जायेगी ।
- 11 निगम की ऑवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित किया जा सकेगा ।
- 12 i परिवीक्षा प्रशिक्षु कालावधि में नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 12 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है ।
 - ण परिवीक्षा प्रशिक्षु कालाविध में प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जो कि एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।
 - iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव), मातृत्व / पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगा।
- 13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा ।
- 14 यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहेगी। कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को अपना आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक (जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल अधीक्षक के स्तर से कम न हो) द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु दिये गये चिकित्सा परीक्षण शुल्क की राशि का पुनर्भरण (Reimbursement) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कर दिया जायेगा।
- 15 यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहेगी। कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को सम्बधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । इसके अभाव में उसकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस/सूचना के समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी ।

- 16 प्रशिक्षणार्थी की नियुक्ति बिना किसी सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी, यदि यह पाया गया कि 01.06.2002 को या बाद में प्रशिक्षणार्थी के 2 से अधिक बच्चे है। यदि 01.06.2002 से पहले 2 या 2 से अधिक बच्चे है तो उसकी नियुक्ति की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।
- 17 यह नियुक्ति अस्थाई है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एव अन्य दस्तावेजो के प्रमाणीकरण के अध्यधीन रहेगी ।
- 18 नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है ।
- 19 सेवा की अन्य नियम एवम शर्ते निगम के समान श्रेणी के कार्मिको के समान होगी ।
- 20 परिवीक्षाकालाविध में स्थानान्तरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 21 नियुक्त व्यक्ति को एक लिखित उद्घोषणा इस आशय हेतु प्रस्तुत करनी होगी कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन—पोषण करेगा एवं उनकी उचित ढंग से देखभालकरेगा। यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा / रही है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियोक्ता अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा।
- 22 उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृतिलाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।
- 23 कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति/पदधारी को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतू प्रस्तूत करनी होगी:-
 - i सैकेण्डरी स्कूल अंक तालिका / प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी की जन्म दिनांक अंकित हो।
 - ii शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित दस्तावेज यदि कोई हो।
 - अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।
 - iv सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (यदि विवाहित हो)
 - विवाहित होने की दशा में शपथ पत्र जिसमें सभी बच्चों (दत्तक एवं सौतेले सिहत) के नाम और जन्म दिनांक अंकित हो और संतान नहीं होने की दशा में एक शपथ पत्र।
 - vi मूल निवास प्रमाण-पत्र।

- vii यदि सामान्य/अपिव/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का अभ्यर्थी राजस्थान के घोषित जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का मूल निवासी हो तो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- viii एक स्वप्रमाणित शपथ पत्र कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और उसे किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया गया है। यदि वह किसी भी आपराधिक मामले में दोषी है अथवा उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसका शपथ पत्र में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाये।
- ix परिवीक्षा अवधि के दौरान एवं नियुक्ति के पश्चात् निगम से किसी भी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् निगम सेवा छोड़ने /त्याग पत्र देने की स्थिति में 100/— रूपये के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड/बाध्य पत्र जो कि नोटेरी द्वारा सत्यापित हो। (प्रारूप परिशिष्ट—'अ' संलग्न है)।
- प्रेड—पे 2000 या उससे ऊपर) से परिशिष्ट—'ब' के अनुसार जमानती बॉण्ड / बाध्य पत्र जो कि नोटेरी द्वारा सत्यापित हो। (नॉन—ज्यूिड्शयल स्टाम्प जमानत देने वाले के नाम से क्रय किया गया हो।)
- xi नियुक्ति के समय प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- xii नियुक्ति के समय प्रस्तुत पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।
- xiii शर्त 21 के अनुसार लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- xiv शर्त 22 के अनुसार लिखित लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- शपथ पत्र बाबत दिवंगत कर्मचारी का कोई भी (पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड,संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो—के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं है परन्तु मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।
- xvi दो उत्तरदायी व्यक्तियों / राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह से पूर्व का जारी न किया गया हो ।
- xvii बचनबधंता (अंडरटेकिंग) कि नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करेगा। (वचनबंध प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'स' संलग्न है)
- xviii नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि पर स्वलिखित एवं हस्ताक्षरित स्वीकृति जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि ''मैंने अपने सहायक प्रथम (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु) के नियुक्ति आदेश के नियम एवं शर्तों को भली—भाँति पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ।''

यदि नियुक्ति की उपरोक्त शर्ते स्वीकार्य है तो अभ्यर्थी पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें । निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थिति नहीं देने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी उक्त अभ्यर्थी के कार्य पर उपस्थित होने की सूचना इस कार्यालय को भिजवायें।

संलग्न :-

आज्ञा से.

संयुक्त निदेशक कार्मिक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :-

- 1. मुख्य लेखा नियंत्रक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
- 2. संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
- 3. मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी) राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम, कोटा।
- 4. अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी) राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम, कोटा।
- 5. अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस) रा.रा.वि.प्र.नि. लि. जयपूर को उक्त आदेश को मय संलग्नक प्रसारण निगम की वेब-साइट पर अपलोड कराने हेत्
- 6. सिस्टम एनालिस्ट, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपूर।
- 7. अधिशाषी अभियन्ता (220 के.वी.जीएसएस), राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम, देहारा।
- 8. सचिव (अंशदायी भविष्य निधि न्यास), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपूर।
- 9. लेखाधिकारी (टी एण्ड सी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, कोटा।
- 10. कार्मिक अधिकारी / सहायंक कार्मिक अधिकारीँ (टी एण्ड सी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, कोटा।
- 11. निजी सचिव-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
- 12. निजि सहायक, सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपूर।
- 13. सहायक कार्मिक अधिकारी (तकनिकी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपर।
- 14. श्री योगेन्द्र वर्मा पुत्र स्व. श्री भैरूलाल बैरवा, निवासी-डी-288, थर्मल कॉलोनी, तहसील-सकतपुरा, witall hite कोटा-324008

15. कार्यालय पत्रावली / व्यक्तिगत पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक कार्मिक

BOND FOR THE HELPER-I TO BE EXECUTED BEFORE POSTING IN RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD. (On Non-Judicial Stamp Paper of Rs.100/-)

KNOW	/ ALL	MEN	that	I				_ S	3/D/	W'	of	Shri
				Age		_year	S]	Resi	dent		of
			hereby	agree	to ex	ecute	this	Bond	in	full	sense	and
knowledge as	follows :-											
T								_		_		
1				ha	ve bee	n sele	ected	as Pro	bati	ioner	Traine	e on
the post of H	lelper-I und	der the o	order No.				(dated _		C	of Rajas	than
Rajya Vidyut	Prasaran I	Nigam L	td. (in sh	ort RV	PN) bin	d my	self th	at I wi	ll di	ligent	tlv faith	fully
and to the be	st of my al	oility un	dergo the	e traini	ng as F	Probat	ioner	Traine	e 25	well	98 911 (ther
trainings arr	anged by	RVPN 4	and cond	duct or	nd heh	nove 1	20220	tlv ord	المام	ond	l obodi	ontly
towards my												
before compl	etion there	of and	will not	commit	any a	act of	misc	onduct	du	ring 1	the trai	ining
period.												_

I bind myself that I will not leave my training/ service or resign and will not engage directly or indirectly in any trade/ business/ occupation till the end of the period of 'Probation-Training' and within one year after completion of Probation-Training.

In consideration of being sent on any other training (other than Probation training) I bind myself to serve RVPN during as well as after completion of training(s) for a minimum period of one year if the training is for a period exceeding three months but upto six months and for two years if it exceeds six months.

In case of my any act contrary to or default of any provision stipulated at para 1 2 & 3 above I bind myself and my heirs executors and administrators to pay to RVPN on demand all emoluments/ pay & DA including expenses incurred on me during my training periods alongwith amount of remuneration/salary for notice period (excluding Travelling & daily allowance) subject to maximum of Rs.150000/- (Rupees One lac fifty thousand) only and any other amount that may be due to RVPN together with interest & 12% per annum from the date of demand to the date of payment in lump-sum in the event of following eventualities:-

- a) In case I fail to take due interest in the Probation Training or any other training arranged by RVPN.
- b) In case my attendance during the training period at the place where my name has been nominated/ sponsored falls below 80% of the total training days.
- c) In case of serious misconduct on my part during the training period.
- d) In case I leave the Probation training or any other training arranged by RVPN at any time before completion of full period of training or quit service before the period as detailed in para-2 and 3 above.

In case after completion of 3 years' period and also during any period otherwise not covered by para 1 2 & 3 above I resign or leave service of RVPN without giving three months' notice in writing to the Controlling Officer I bind myself to pay the amount of salary for the notice period falling short of 3 months' as compensation to the RVPN and in case of any default the amount may be deducted from any money due to me.

I further bind myself that the decision of Chairman & Managing Director RVPN or any officer nominated by him as to the correct interpretation of the Bond rules & regulations etc. and as to whether I have or have not observed and complied with the obligations herein recited shall be final and binding upon me.

period of Probatic will be under th (excluding Travel lac fifty thousand undertaking give date of demand to	leave the services of RVPN before expiry of the minimum on training or any other training or service as prescribed in this bond I be obligation to refund the entire amount of expenses incurred on me ling & daily allowance) subject to maximum of Rs.150000/- (Rupees One) only and any other amount that may be due to RVPN as per the n by me herein above together with interest & 12% per annum from the to the date of payment in lump-sum as certified by the concerned Chief Sr. Accounts Officer/ Accounts Officer.
	Signed & delivered by the
	above bonded person
Witness: - 1.	Signature Name Occupation Address
2 .	Signature Name Occupation Address
Accepted:- For an	d on behalf of the Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.
Place Date	
	Head of Department/

Head of Department/ Superintending Engineer RVPN

SURETY TO BE GIVEN ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS.100/- BY AN EMPLOYEE OF CENTRAL/STATE GOVERNMENT OR PUBLIC UNDERTAKINGS GETTING GRADE PAY RS. 2000/- OR ABOVE.

l	S/D/W of Shri	Age	е
Resident of and getting pay in	working as (Design	ation)	Deptt.
and getting pay in	n Pay Bandw	ith Grade Pay	
do hereby stand this surety	in respect of Shri/M	ls	
S/D/W of Shri	appointed as Pr	obationer Trainee o	n the post
of Helper-I vide order No. Rajasthan Rajya Vidyut Pras		dated	of
Rajasthan Rajya Vidyut Pras	aran Nigam Ltd. (in sh	ort RVPN) and pos	ted in the
office of the	and agree to ex	ecute this bond in	full sense
and knowledge as follows :-			
That Shri/Ms.	will diligently faithful	lly and to the best o	of his/ her
ability undergo the training a	as Probationer Trainee	as well as all other	· trainings
arranged by RVPN and condu	ct and behave himself,	herself honestly or	rderly and
obediently towards his/ her si	uperiors and manageme	ent of RVPN and will	l not leave
trainings at any time before	completion thereof and	d will not commit a	any act of
misconduct during the trainin	g period.		
That Shri/Ms	will not leave trai	ining/ service/ resig	m and will
not engage directly or indirect	ly in any trade/ busine	ess/ occupation till	the end of
the period of 'Probation-Tra	aining' and within on	ie year after com	pletion of
Probation-Training.			-
In consideration of Shri/Ms.	heing	sent on training I	undertalze
that Shri/Ms.	will serve the RVPN	after completion of	training(s)
for a minimum period of one			
months but upto six months a			
The state of the s	111 1 1 1 1		•
That if Shri/Ms.	will indulge in any act	t contrary to any su	rety given
by me at para 1 2 and 3	above i bind myseli a	ind my neirs exect	utors and
administrators to pay to RVP expenses incurred on him/he	n on demand an emoru	neriods alanguith	including
remuneration/salary for noti	ce period (excluding T	ravelling & daily	allowance)
subject to maximum of Rs.150	0000/- (Rupees One lac	fifty thousand) only	and any
other amount that may be du	le to RVPN together wit	th interest @ 12% p	er annum
from the date of demand to			
following eventualities :-	• •	•	

- a) In case he/she fails to take due interest in the Probation Training or any other training arranged by RVPN.
- b) In case his/ her attendance during the training period at the place where his/ her name has been sponsored falls below 80% of the total training days.
- c) In case of serious misconduct on his/ her part during the training period.
- d) In case he/ she leaves the Probation training or any other training arranged by RVPN at any time before completion of full period of training or quit service before the period as detailed in para-2 and 3 above.

any officer nominated rules & regulations et	hat the decision of Chairman & Managing Director RVPN or by him as to the correct interpretation of the Surety Bond c. and as to whether Shri/ Ms has or has aplied with the obligations herein recited shall be final and
ofthe minimum period prescribed in this Suramount of expendallowance) subject to only and any other amberein above together the date of payment	leaves the services of RVPN before expiry of of Probation training or any other training or service as ety and Bond I will be under obligation to refund the entire ses incurred on him/ her (excluding Travelling & daily maximum of Rs.150000/- (Rupees One lac fifty thousand) ount that may be due to RVPN as per the surety given by me with interest @ 12% per annum from the date of demand to an lump-sum as certified by the concerned Chief Accounts Officer/ Accounts Officer.
	Signature of Surety with rubber stamp of Designation Office
Name Occu	ture e pation ess
Name Occu	pationess
Accepted: - For and or	behalf of the Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.
Place Date	

Superintending Engineer RVPN

APPENDIX - C

वचनबंधप्रपत्र

मैं	पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती	•••
निवासी		
वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान	एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ / करती हूँ ।	••••

हस्ताक्षर वचनबद्धकर्ता